न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 29 / 2020 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. भवानी सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट
2. धन्नाराम पुत्र नानूराम जाति जाट

निवासीगण अखैपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थीगण

ब ना म

राज्य सरकार (भू–धारक) जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 26.07.2022

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 3335 से 3338, 3340, 3345, 3346, 3348, 3350 से 3354 कुल किता 13 कुल रकबा 13.26 हैक्टर तन ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों के खातेदारी कॉलम में प्रार्थी संख्या एक का गलत नाम भानाराम दर्ज रहा है। वर्तमान में सैकरीमैसी के दौरान भानाराम के स्थान पर फिर से गलत नाम भगवानाराम दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी संख्या एक का सही नाम भवानी सिंह है। प्रार्थीगण के पिताजी का नाम रूघनाथ गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या एक को भानाराम व भवानीसिंह दो नामों से जाना–पहचाना व पुकारा जाता है तथा प्रार्थीगण के पिताजी को भी रूघनाथ व नानूराम दो नामो से जाना पहचाना व पुकारा जाता था। प्रार्थीगण के पहचान के सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, वोटर लिस्ट व अन्य प्रार्थीगण उनके पिताजी का सही नाम भवानीसिंह पुत्र नानूराम व धन्नाराम पुत्र नानूराम दर्ज चल रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियॉ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपरोक्त वर्णित व पहचान के दस्तावेजों में स्वय का नाम व पिताजी के नाम से भिन्नता के कारण प्रार्थीगण सरकार की ओर से कृषि विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित चल रहे है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दुरूस्ती आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार नाम व पिताजी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित व न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 9–10 रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादीगण व इनके पिता का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण--प्रतिक्षण रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 3335 से 3338, 3340, 3345, 3346, 3348, 3350 से 3354 कुल किता 13 कुल रकबा 13.26 हैक्टर तन ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीगण का नाम भगवानाराम पुत्र रूघनाथ व धन्नाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर प्रार्थीगण का सही नाम भवानीसिंह पुत्र नानुराम व धन्नाराम पुत्र नानुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थीगण का नाम भगवानाराम पुत्र रूघनाथ व धन्नाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर प्रार्थीगण का सही नाम भवानीसिंह पुत्र नानुराम व धन्नाराम पुत्र नानुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पटवारी अनुसार ग्राम शिश्यू जमाबन्दी सम्वत 2070–73 भानाराम धन्नाराम पिता रूघनाथ हि. 1/6 दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2076 में धन्नाराम भगवानाराम पिता रूघनाथ हि. 1/6 जाति जाट दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अनुसार वादी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड में भगवानाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर भवानीसिह पुत्र नानूराम व धन्नाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर धन्नाराम पुत्र नानूराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार भगवानाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर भवानीसिह उर्फ भगवानाराम पि. रूघनाथ उर्फ नानूराम व धन्नाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर धन्नाराम पुत्र रूघनाथ उर्फ नानूराम शुद्व किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार पलसाना ने भी रिपोर्ट पटवारी अनुसार शुद्वि किये जाने की अभिषंषा कि है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 3335 से 3338, 3340, 3345, 3346, 3348, 3350 से 3354 कुल किता 13 कुल रकबा 13.26 हैक्टर तन ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थीगण का नाम भगवानाराम पुत्र रूधनाथ व धन्नाराम पुत्र रूघनाथ के स्थान पर प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम भवानीसिंह उर्फ भगवानाराम पुत्र नानूराम उर्फ रूघनाथ व धन्नाराम पुत्र नानूराम उर्फ रूघनाथ दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

(राजेश ...)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ